प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2018

विषयः- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बढायी गयी पी0जी0 सीटों के सापेक्ष पदों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पीजीआई/ईआर/एसीएडी/1937/2018,दिनांक 18-4-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बढायी गयी पी0जी0 सीटों के सापेक्ष पदों की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 एवं 25 मार्च 2018 को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना के अनुसार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु पी0जी0 सीटों में की गयी वृद्धि के क्रम में जूनियर रेजीडेण्ट (7वें वेतन आयोग के अनुसार रू0 56100/- लेबल-10 एवं अन्य भत्ते) के निम्नानुसार कुल 54 पदों को अस्थायी रूप से दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिए, बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	विभाग/स्पेशियलिटी का नाम	त्रिवर्षीय पी0जी0 ब्राड स्पेशियलिटी पाठयक्रम 2018-19 में एडमिशन हेतु बढायी गयी पी0जी0 सीटों की संख्या	त्रिवर्षीय पी0जी0 ब्राड स्पेशियलिटी पाठयक्रम हेतु कुल पदों की संख्या
1	रेडियोथेरेपी	02	02x3=06
2	एनेस्थिशियोलाजी	12	12x3=36
3	न्यूक्लियर मेडिसिन	04	04x3=12
	योग-	कुल 18 सीट	कुल 54 पद

3- सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक संस्थान का होगा।

4- नियमित वेतनमान के पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0309-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1703/दस-2018, दिनांक 30 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुखसचिव।

संख्या- 113/2018/1485(1)/71-2-18-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0इलाहाबाद।
4. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
7. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त वे0आ0-1
9. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0
10. प्रभारी अधिकारी,एन0आई0सी0,छठा तल,योजना भवन ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।